International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 28-07-2023, Accepted: 14-08-2023, Published: 29-08-2023
Volume 5, Issue 2, 2023, Page No. 35-37

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका

राजवीर
राजनीति विज्ञान, सहायक आचार्य (विद्या सम्बल), राजकीय महाविद्यालय, सूरजगढ़, झुन्झुनू, राज्यस्थान, भारत

सारांश
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र के गठन का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति रूज्वेल्ट, रूस के राष्ट्रपति जोसफ स्टालिन एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को जाता है। 26 जून 1945 को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की नींव पड़ी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं कार्य के संदर्भ में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, इस घोषणा पत्र पर 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करके 24 अक्टूबर1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापित किया गया। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।
राजनीतिक स्वतंत्रता और रंगभेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत औपनिवेशिक देशों और कौमो को आजादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एंतिहासिक घोषणा 1960 का सह–प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों ओर अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर है। भारत दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचको में से था वस्तुत भारत संयुक्त राष्ट्र (1946 में) में इस मुद्दे का उठाने वाला देश था और रंगभेद के विरूद्ध आम सभा द्वारा स्थापित इन समित के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मुल से सबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल गुट–निरपेक्ष आंदोलन और समूह–77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत की हेसियत विकासशील देशों के सराकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप मजबूत हुई।

मूल शब्द: संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ की सदस्यता, सुयक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि

संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त

घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में सुयक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का वर्णन मिलना है जिसमें वर्णित कुछ सिद्धांत के प्रकार है–

- सभी सदस्य राष्ट्र एक समान और संप्रभुता संपन्न है।
- सभी सदस्य राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।
- सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे।
- सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के प्रति ना तो बल का प्रयोग की धमकी देंगे, और ना ही शक्ति का प्रयोग करेंगे।
- सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के कार्यो में सहायता करेंगे और उन राष्ट्रों की सहायता नही करेंगे जिनके विरूद्ध संघ ने कोई कार्यवाही हो।
- कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नही करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को गहण करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तो को बनाया गया और विश्व का कोई भी राष्ट्र जो इन नियमों और शर्तो को मारने का आश्वासन देता है वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। किसी भी देश को सदस्यता के लिए आवेदन करना पड़ता है एवं आवेदन पत्र संयुक्त संघ की ओर से प्रदान किया जाता है। अगर किसी देश में सदस्यता के लिए आवेदन किया है तो संयक्त राष्ट्र के अंग उस पर चिचार करते है उनकी स्वीकृति प्रदान होने के बाद उस देश को सदस्यता पत्र दे दिया जाता है। परंतु इसके लिए परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति एवं महासभा के दो तिहाई (2/3) बहुमत का समर्थन आवश्यक है। सदस्यता प्राप्ति के समय सदस्यता प्राप्त करने वाले देश को कुछ नियमों एवं शर्तो पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और अगर वह इनका उल्लंगन करता है तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ उसके विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है।[1]

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- चार्टर इसका संविधान है जिसमें 10000 शब्द 111 धाराएं एवं 19 अध्याय है, 26 जून 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- संयक्त राष्ट्र संघ का ध्वज– ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है जिस पर उपर से खुली हुई दो वक्राकार जैतून की शाखाओं के बीच में गोलाकार रूप में विश्व का मानचित्र प्रदर्शित है।
- इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था।
- मुख्य कार्यकारी भाषाएं– इसकी प्रमुख कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है।
- मान्यता प्राप्त भाषाएं– अंग्रेजी एवं फ्रेंच के अतिरिक्त चीनी, स्पेनिश, रूसी एवं अरबी भाषाएं मान्यता प्राप्त है।
- इसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है।
- निषेधाधिकार या वीटो पावर– यदि इसका कोई भी स्थाई सदस्य किसी प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे तो वह प्रस्ताव निषिद्ध हो जाता है, जिसे वीटो पावर कहा जाता है।[2]

संयक्त राष्ट्र संघ के महासचिव

1. महासचिव के नाम महासचिव का कार्यकाल
2. ट्रीगवी ली (नार्वे) सन् 1946 ईस्वी से 1952 तक
3. डैग हैमरस्क्जोल्ड (स्वीडन) सन् 1953 से लेकर 1961
4. यू. थांट (म्यामार) 1961 से 971 ईसवी तक
5. कुर्त वॉल्डहाइम (ऑस्ट्रिया) 1 जनवरी 1972–31 दिसम्बर 1981
6. जेवियर पेरिज डी कुईयार (पेरू) 1 जनवरी 1982–31 दिसम्बर 1991
7. बुतरस घाली (मिस्र) 1 जनवरी 1992–31 दिसम्बर 1996
8. कोफी अन्नान (घाना) 1 जनवरी 1997–31 दिसम्बर 2006
9. बान की मून (दक्षिण कोरिया) 1 जनवरी 2007–31 दिसम्बर 2016
10. एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) 1 जनवरी 2017–वर्तमान।[3]

भारत ने सुयक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तो का लगातार समर्थन किया है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में सुयक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। सुयक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव काफी अन्नान के अनुसार पिछले दशको में भारत ने अपनी सरकार के प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिको एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के काम के माध्यम से सुयक्त राष्ट्र संघ के प्रचुर योगदान किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से सुयक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाजों में से एक रहा है और इसके सशस्त्र बलों का अनुभव एवं व्यावसायिकता बार–बार सुयक्त राष्ट्र की शांति स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। विगत वर्षो में भारत ने सुयक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के गारंटर के रू‍ में भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारत ने विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, पर्यावरण–प्रदुषण, निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार,शांति निर्माण एवं शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियो की भावना में संघर्ष करने के लिए सुयक्त राष्ट्र प्रणाली को सुढ़ करने का प्रयास किया है।[4]

भारत ने हमेशा से ही सुयक्त राष्ट्र संघ से अपनी आवाज मजबूती के साथ उठायी है। भारत ने गुट–निरपेक्ष आंदोलन तथा विकासशील देशों का समूह 77 गठन किया जिन्होंने अधिक साम्यपूर्ण अंतराष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनितीक व्यवस्था के लिए सुयक्त राष्ट्र के अन्दर दलील प्रस्तुत की। सुयक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि बहुपक्षीय संगठन उच्च जीवन स्तर,पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति एवं विकास को बढावा देंगे। विगत् दशकों में, सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तिथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार के लिए आह्वान करने के अलावा भारत ने सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता के दृष्टिकोण की वकालत की है। 1996 में भारत ने अंतरराष्ट्र आतंकवाद पर एक प्रारूप व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ने के लिए एक अद्योपांत कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। भारत सुयक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि जैसी सुयक्त राष्ट्र निधियों में योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। इस निधि की स्थापना 2005 में की गई थी। आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं को बढावा देने के लिए इस निधि में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत 2011–12 में सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य था तथा इस क्षेत्र में समुद्री जल दस्युता पर एक खुली चर्चा को आगे बढ़ाया। भारत अब तक सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है।[5]

फिलीस्तीनी प्राधिकारण द्वारा प्रतिनिधित्व, पश्चिमी बैक, जिसमें पूर्वी जेरूसलम, और गाजा पट्टी 1967 के छह दिन के युद्ध के बाद से इजराईल द्वारा अधिकृत–भी शामि है, में स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की एक लंबी लडाई लड़ रहे है हालांकि, दो दशकों की चलने वाली कभी वार्ता शुरू–कभी बंद शांति वार्ता समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में असफल हो गई। 2010 के उत्तरार्द्ध में फिलीस्तीनी अधिकारियों ने एक नवीन राजनयिक रणनीति का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया–देशों से बोलना शुरू कर दिया कि वे 1967 के सीमांकन पर एक स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र के तौर पर स्वीकार करे वर्तमान में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑग्रेनाईजेशन (पीएलओ) को मात्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सदस्यता के अपने राजनितिक निहितार्थ होंगे जो फिलिस्तीन को सुयक्त राष्ट्र अभिकरण में शामिल होने की अनुमति देंगे और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियो का पक्ष बनेंगे, जहॉ वे इसराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्रो को चुनौती देते हुए कानूनी कार्यवाही कर सकेंगे। फिलीस्तीन को एक सदस्य राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने के क्रम में उन्हें 15 सदस्यीय सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। परिष्द की अनुशंसा के पश्चात् अंतिम अनुमोदन के लिए महासभा में 198 सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया के प्रारंभ में, फिलीस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष, महमूद अब्बास, ने 23 सितंबर 2011 को सुयक्त राष्ट्र के महासचिव बान–की–मून को एक निवेदन भेजा महासचिव ने आवेदन सुरक्षा परिष्द को सौपा। परिष्द को 15 में से 9 मतों की आवश्यकता होगी और निर्णय को पारित करने के लिए स्थायी सदस्यों में से काई भी वीटो न करे। ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध अवश्य करेंगे क्योकि वे ऐसे राज्य की सदस्यता का समर्थन नहीं करेंगे जिसकी उन्होंने द्विपक्षीय तौर पर मान्यता नहीं दी है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका का वोट मिलता है तो फिलीस्तीन के पास दूसरा विकल्प आ जाएगा, यद्यपि इससे पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। वे महासभा में प्रस्ताव रख सकते है और प्रस्तुत करने के 48 घंटो में वोट डाले जा सकते है, यद्यपि इसे आम बहस के लिए सितंबर के उत्तरार्द्ध या अक्टूगर के पूर्वार्द्ध तक लंबित किया जा सकता है यह बातचीत के लिए अधिक समय प्रदान करेगा जिससे इसे अधिक समर्थन मिल सके, विशेष रूप से यूरोपीय संघ से अनुमोदन के लिए उपस्थित लोगो के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इस स्थिति मे कोई मतदान नही होगा। संयोगवश, 31 अक्टूबर, 2011 को फिलीस्तीन की प्रस्थिति की नॉन मैम्बर ऑब्जर्वर एन्टीटी से उन्नत कर नॉन मेम्बर ऑब्जर्वर स्टेट कर दिया यह महासभा में मतदान नहीं कर सकता लेकिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय में शामिल हो सकता है।

कुछ साल पहले तत्कालीन सुयक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के काम के माध्यम से सुयक्त राष्ट्र में प्रचुर योगदान किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से सुयक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाजों मे से एक रहा है। और इसके सशस्त्र बलों का अनुभव एवं व्यावसायिकता बार–बार सुयक्त राष्ट्र के शांति स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है– जिसमें सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है।

भारत, सुयक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होनें 1 जनवरी, 1942 को वांशिग्अन में सुयक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेन फ्रासिस्को में ऐतिहासिक सुयक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। सुयक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप

में भारत, सुयक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा सुयक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल दशको में, सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार के लिए आह्वान करने के अलावा भारत ने सभी रूपों के आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता के दृष्टिकोण की वकालत की है। भारत ने इसे शीघ्र अपनाए जाने के लिए काम करना जारी रखा है। सी. सी. आई. टी. की अनेक विशेषताओं को पहले ही अपना लिया गया है।

भारत सुयक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि जैसी सुयक्त राष्ट्र निधियों में योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। सुयक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की स्थापना 2005 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यूएस राष्ट्रपति जार्ज बुश तथा सुयक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा की गई। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देरे के लिए भारत आज इस निधि में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सितंबर 2012 में सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द का अस्थायी सदस्य था तथा इस क्षेत्र में समुद्री जल दस्युता पर एक खुले डिबेट को आगे बढ़ाया। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद में सेवा कर चुका है– 1950–51,1967–68,1972–73,1977–78, 1984–85, 1991–92, और 2011–2012, 2021–22 में।

सुयक्त राष्ट्र में भारत

- भारत 8 बार सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है–1950–51,1967–68,1972–73,1977–78, 1984–85, 1991–92, और 2011–2012, 2021–22
- भारत सुयक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- भारत ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया, इसेके शिष्टमंडल का नेतृत्व सर सी पी रामास्वामी मुदलियार ने किया।
- भारत सुयक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों में योगदान करने वाला सबसे बड़ा देश है।
- भारत ने सुयक्त राष्ट्र के शांति स्थापना से संबंधित 64 अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिको का योगदान किया है।
- सुयक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 60 से अधिक कार्मिको ने अपने जीवन की आहुति दी है।
- सुयक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिशनों मे से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहा है।
- भारत ने उपनिवेशी देशों एवं लोगो को आजादी प्रदान करने पर 1960 की महत्वपूर्ण घोषणा को सह प्रायोजित किया। इस घोषणा के कार्यान्वयान की देखरेख करने के लिए गठित विशेष समिति की सी.एस.झा ने अध्यक्षता की

अभियानो में शामिल होता रहा है। भारत, परमाणु हथियारों से सम्पन्न एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता रहा है। भारत समयबद्ध, सर्वभौमिक,निष्पक्ष, चरणबद्ध और सत्यापन योग्य रूप में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि सन् 1998 में आम सभा के निरस्त्रीकरण से संबंधित विशेष अधिवेशन में पेश की गई राजीव गांधी कार्य योजना में प्रतिबिम्बित होता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि कई खामियों के होते हुए भी वर्तमान विश्व के समक्ष सुयक्त राष्ट्र का कोई विकल्प नहीं है। यह संस्था अपने सदस्य देशों के आर्थिक एवं अन्य तरह के सहयोग से ही चलती है अतः सदस्य देश जब तक इसे और सुदृढ़ न बनाएंगे तब तक यह पंगु ही रहेगी। कई देशों की आंतरिक अशांति अथवा घरेलू विप्लव की स्थिति में सुयक्त राष्ट्र की शांति सेना ने उत्तम कार्य किया है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की सेना की मदद से शांति और सुरक्षा के लिए कार्य किए है। दूसरी ओर संसार भर के सांस्कृतिक धरोहरों की पहचानकर उनके रखरखाव में अच्छा–खासा योगदान दिया है। कई देशों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भी इस विश्व संस्था ने मदद की है। सुयक्त राष्ट्र दुनिया के गरीब देशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सें संबंधित विशेष अभियान चलाकर एक तरह से सामाजिक समानता और उत्थान का कार्य करता है। सबके लिए स्वास्थ्य सुयक्त राष्ट्र का लक्ष्य है। सुयक्त राष्ट्र ने भारत जैसे देशो में बाल श्रम विरोधी अभियान चलाए हैं क्योकि यह संस्था दुनिया के सभी बच्चों के कन्याण के प्रति समर्पित है। ये सभी कार्य सुयक्त राष्ट्र संघ अपनी विभिन्न एजेंसियों की मदद से करता है। इसके ढॉचे में सुधार की मांग भारत सहित दुनिया के कई देश लंबे अरसे से कर रहे है लकिन अब तक इस ओर ध्यान नही दिया गया है। सुरक्षा परिष्द के स्थायी सदस्यों की संख्या में बढोतरी अब अपरिहार्य हो गई है। सुयक्त राष्ट्र संघ को जितना प्रभावी बनाया जाएगा, उतना ही विश्व स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा, इसमें कोई संदेह नही है। भारत सुयक्त राष्ट्र के संस्थापनक सदस्यों में से एक देश है और आठ बार वो सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है पिछली बार वो 2021–22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था, भरत की विकास की गथा, विशेष रूप से पिछले दसकों के दौरान, के कारण भारत सरकार के साथ–साथ अन्य कई क्षेत्रीय/वैश्विक मंचों के द्वारा सुयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग अलग–अलग मौको पर की गई है। इस मामले में पिछला वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। फरवरी 2022 में जब रूस और युक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देश का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में उभरा और दुनिया के केन्द्र में आया। जल्द ही दिल्ली वैश्विक राजधानी बन गई और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का प्रसिद्ध बयान की '' आज का युग युद्ध का नही है'' आज भी कई वैश्विक मंचो पर गूंजता है।

संदर्भ सूचि

1. यादव, डी.एस. सुयक्त राष्ट्र संघ और भारत, डिस्कवरी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011 पृ.58
2. सारास्वत,माधवानन्द, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृ.98
3. पंथ, पुष्पेश, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, एम.सी.ग्रॉ. हिल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014 पृ.55
4. दी.एम. जैन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007 पृ.78
5. सारास्वत,माधवानन्द, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृ.25
6. यादव, डी.एस. सुयक्त राष्ट्र संघ और भारत, डिस्कवरी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011 पृ.78